



जनपद हमीरपुर

थाना मुस्करा

दिनांक 10.06.2026

थाना मुस्करा पुलिस द्वारा अवैध तमंचा एवं कारतूस के साथ अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में ।

पुलिस कार्यवाही का विवरण-

आज दिनांक 10.06.2026 को चेकिंग के दौरान अंकित उर्फ सूरज पुत्र शिवपाल राजपूत, उम्र करीब 20 वर्ष, निवासी ग्राम गल्हिया (ओडेरा), थाना राठ, जनपद हमीरपुर को खडेही लोधन गेट, थाना मुस्करा क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर तथा तीन अदद जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद किए गए।

बरामदगी के आधार पर थाना मुस्करा पर मु0अ0सं0 110/2026, धारा 9(1)A(1)/25(2) आयुध अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त को नियमानुसार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त :

अंकित उर्फ सूरज पुत्र शिवपाल राजपूत, उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम गल्हिया (ओडेरा), थाना राठ, जनपद हमीरपुर ।

गिरफ्तारी का स्थान

खडेही लोधन गेट थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर।

बरामदगी :

01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर

03 अदद जिंदा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम :

उ0नि0 अनुरुद्ध कुमार द्विवेदी

का0 नीरज राजपूत

का0 उपेन्द्र पटेल

रि0आ0 शुभम यादव

रि0आ0 आशीष यादव

